

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :- 24/2018-19

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

गोविन्दा मुण्डा

- विक्रेता

सीमा होरो

- क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित										
11.6.18	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>आवेदक गोविन्दा मुण्डा पिता स्व0 राम मुण्डा ग्राम सिम्बुकेल, थाना खूँटी, जिला खूँटी ने सीमा होरो पिता खतिरान होरो ग्राम कदमा, थाना खूँटी, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के वि क्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।</p> <table border="1" data-bbox="332 714 1388 808"> <thead> <tr> <th>ग्राम</th> <th>थाना नं0</th> <th>खाता नं0</th> <th>खेसरा सं0</th> <th>रकबा (एकड़ में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>सिम्बुकेल</td> <td>76</td> <td>16</td> <td>48</td> <td>0.08½</td> </tr> </tbody> </table> <p>उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र, खतियान एवं लगान की रसीद सं0 6686728 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 471 दिनांक 30.05.2018 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम जेठा मुण्डा वगैरह हैं। पंजी II के अनुसार गोजा मुण्डा वगैरह है। आवेदक के पास रकबा 2.83 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2011-12 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित दर 7000.00(सात हजार)रु0 प्रति डिसमिल है। इस भूमि के वि क्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि वि क्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 2.75 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रे ता एवं वि क्रे ता एक ही थाना खूँटी के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु वि क्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरुआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईंहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, खूँटी ने आवेदक क्रे ता-वि क्रे ता को भूमि क्रय-वि क्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, खूँटी से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण गोविन्दा मुण्डा पिता स्व0 राम मुण्डा को सीमा होरो पिता खतिरान होरो के साथ ग्राम सिम्बुकेल के खाता सं0 16 खेसरा संख्या 48 का रकबा 0.08½ एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 7000.00(सात हजार)रुपये प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आधार पर भूमि वि क्रय की अनुमति दी जाती है।</p> <p style="text-align: right;">11.6.18 भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी।</p> <p style="text-align: right;">11.6.18 भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी।</p> <p>अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।</p>	ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा (एकड़ में)	सिम्बुकेल	76	16	48	0.08½	
ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा (एकड़ में)								
सिम्बुकेल	76	16	48	0.08½								